कार्यालय, निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण
गो0ब0 पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर–263 145

पत्रांक : डीएएम/6893 दिनांक : 15/05/2026

कार्यालय आदेश

यह संज्ञान में आया है कि विश्वविद्यालय के कुछ विभागों/कार्यालयों में कार्यरत कतिपय कार्मिक कार्यालय समय के दौरान मादक पदार्थों अथवा शराब का सेवन कर कार्यालय में उपस्थित हो रहे हैं जिस पर कुलपति जी द्वारा गहरा असंतोष व्यक्त किया गया है। इस प्रकार की गतिविधियॉं विश्वविद्यालय की गरिमा, अनुशासन, कार्यसंस्कृति एवं प्रशासनिक व्यवस्था के सर्वथा प्रतिकूल होने के साथ–साथ विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए भी गंम्भीर चिन्ता का विषय है।

विदित हो कि विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक एवं अनुशासित संस्था है, जहॉं कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के मध्य स्वस्थ, सुरक्षित एवं मर्यादित कार्य वातावरण बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसी स्थिति में यदि कियी भी श्रेणी का कर्मचारी मादक पदार्थों अथवा शराब के प्रभाव में कार्यालय में उपस्थिति होता है, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल उसकी कार्यक्षमता एवं व्यवहार पर पड़ता है, बल्कि इससे अन्य कार्मिकों, विद्यार्थियों एवं आगंतुको के मध्य भय, असहजता एवं अव्यवस्था की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है।

इसके अतिरिक्त, नशे की अवस्था में कार्यालयीन कार्य सम्पादित करने से किसी भी समय अप्रिय घटना, वाद–विवाद, मारपीट, अभद्र व्यवहार, दुर्घटना, कार्यालयीन गोपनीयता के उल्लंघन अथवा सुरक्षा संबंधी गम्भीर समस्या उत्पन्न होने की सम्भावना बनी रहती है। इस प्रकार की घटनाएँ विश्वविद्यालय की छवि एवं प्रशासनिक व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं, जिसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नही किया जा सकता है।

अतः विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस संबंध में "शून्य सहनशीलता नीति" (Zero Tolerance Policy) अपनाते हुए समस्त विभागाध्यक्षों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :

1. यदि किसी कार्मिक के संबंध में यह प्रतीत होता है अथवा विश्वसनीय सूचना प्राप्त होती है कि वह मादक पदार्थों अथवा शराब का सेवन कर कार्यालय में उपस्थित हुआ है, तो संबंधित विभागाध्यक्ष तत्काल इसकी सूचना विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारी/सुरक्षा विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

2. सूचना प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय के सुरक्षा विभाग द्वारा तत्काल संबंधित कार्मिक का चिकित्सीय परीक्षण कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि वस्तुस्थिति का सत्यापन किया जा सके एवं

परीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर विश्वविद्यालय नियमों एवं सेवा आचरण नियमों के अन्तर्गत आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

3. विभागाध्यक्ष अपने विभाग में अनुशासन एवं कार्य संस्कृति बनाए रखने हेतु सतत निगरानी रखेंगे तथा किसी भी संदिग्ध स्थिति को हल्के में न लेते हुए तत्काल प्रशासन एवं सुरक्षा विभाग के संज्ञान में लाना सुनिश्चित करेंगे।

4. यदि किसी कार्मिक द्वारा मादक पदार्थो अथवा शराब का सेवन कर कार्यालय आने की स्थिति में संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा समय पर सूचना सुरक्षा विभाग को नहीं दी जाती है तथा भविष्य में किसी प्रकार की अप्रिय घटना, विवाद, दुर्घटना अथवा सुरक्षा संबंधी समस्या उत्पन्न होती, तो ऐसी स्थिति में संबंधित विभागाध्यक्ष का प्रशासनिक उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जा सकता है तथा इसे गम्भीर प्रशासनिक लापरवाही माना जाएगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन परिसर में सुरक्षित, अनुशासित एवं सकारात्मक कार्य वातावरण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इस प्रकार की गतिविधियों के प्रति किसी प्रकार की उदासीनता अथवा शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी।

विश्वविद्यालय के समस्त महाविद्यालय/विभाग उपर्युक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनशिचित करते हुए अपने महाविद्यालय/विभाग में अनुशासन, मर्यादा एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

15/05/21

(बी0एस0 चलाल)पी.सी.एस.
निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित :

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष।
2. अपर निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण।
3. सुरक्षाधिकारी।
4. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।